

## मुल्लापेरयिर बाँध मुद्दा

### प्रलिमिस के लिये:

मुल्लापेरयिर बाँध, सर्वोच्च न्यायालय, एनडीएसए, पेरयिर नदी, पश्चमी घाट।

### मेन्स के लिये:

मुल्लापेरयिर बाँध से संबंधित मुद्दा और बाँध सुरक्षा अधनियम, जल संसाधन।

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने मुल्लापेरयिर बाँध की प्रयोक्षी समति के पुनर्गठन का आदेश दिया।

- समति में बाँध की सुरक्षा से संबंधित विवाद में शामिल दो राज्यों तमिलनाडु और केरल के एक-एक तकनीकी वशिष्जज्ज शामिल होंगे।



### सर्वोच्च न्यायालय का फैसला:

- न्यायालय ने पैनल को [राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण \(NDSA\)](#) के समान कार्यों और शक्तियों के साथ अधिकार दिया है।
  - NDSA** बाँध सुरक्षा अधनियम, 2021 के तहत प्रक्रिया निर्धारित है।
- विफलता के कसी भी कार्य के लिये न केवल न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करने हेतु बल्कि अधनियम के तहत संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ "उचित कार्रवाई" की जाएगी।
  - अधनियम कानून के तहत गठित नियमों के निर्देशों का पालन करने से इनकार करने पर एक साल के कारावास या जुर्माना या दोनों की बात करता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम आदेश के अनुसार दोनों राज्यों से दो सप्ताह के भीतर प्रयोक्षी समति में एक-एक प्रतिनिधि के अलावा एक-एक

व्यक्तिको नामति करने की उम्मीद है।

## मुल्लापेरयिर बाँधः

- लगभग 126 साल पुराना मुल्लापेरयिर बाँध केरल के इहुककी जलि में मुल्लायार और पेरयिर नदियों के संगम पर स्थिति है।
  - इस बाँध की लंबाई 365.85 मीटर और ऊँचाई 53.66 मीटर है।
- बाँध का स्वामतिव, संचालन और रखरखाव तमलिनाडु के पास है।
  - तमलिनाडु ने सचिर्ल, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत उत्पादन सहित कई उद्देश्यों के लिये इसे बनाए रखा।

## पेरयिर नदी की मुख्य वशिष्टताएँः

- पेरयिर नदी 244 कलोमीटर की लंबाई के साथ केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है।
- इसे 'केरल की जीवनरेखा' (Lifeline of Kerala) के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह केरल राज्य की बाहरहमासी नदियों में से एक है।
- पेरयिर नदी [पश्चिमी घाट](#) (Western Ghat) की शविगरी पहाड़ियों (Sivagiri Hill) से निकलती है और 'पेरयिर राष्ट्रीय उद्यान' (Periyar National Park) से होकर बहती है।
- पेरयिर की मुख्य सहायक नदियाँ- मुथरिपूङ्गा, मुल्लायार, चेरुथोनी, पेरनिजंकुट्टी हैं।

## विवाद क्या है?

- वर्ष 1979 के अंत में बाँध की संरचनात्मक स्थिरता पर विवाद उत्पन्न होने के बाद [केंद्रीय जल आयोग](#) के तत्कालीन अध्यक्ष के.सी. थॉमस की अध्यक्षता में एक तरपिक्षीय बैठक में यह नियमित लिया गया कि जिल स्तर को 152 फीट के पूर्ण जलाशय स्तर के मुकाबले 136 फीट तक कम किया जा सकता है ताकि तमलिनाडु सुदृढ़ीकरण के उपाय कर सके।
- वर्ष 2006 और वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जिल स्तर 142 फीट तक बढ़ाया जाए, जिस स्तर तक तमलिनाडु ने पछिले वर्ष (2021) भी पानी जमा किया था।
- वर्ष 2014 के न्यायालय के फैसले ने प्रयोक्षी समति के गठन एवं तमलिनाडु द्वारा शेष कार्य को पूरा करने का भी प्रावधान किया।
  - लेकिन हाल के वर्षों में केरल में भूस्खलन के साथ बाँध को लेकर मुकदमों की संख्या बढ़ती ही जा रही है।
- हालाँकि बाँध स्थल के आसपास भूस्खलन की कोई रपिट नहीं मिली थी, किंतु राज्य के अन्य हिस्सों में हुई घटनाओं ने बाँध के खिलाफ एक नए अभियान की शुरुआत की है।
- केरल सरकार ने प्रस्तावित किया कि मौजूदा बाँध को बंद कर दिया जाए और एक नया बनाया जाए।
  - ये विकल्प तमलिनाडु को पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं हैं, जो शेष सुदृढ़ीकरण कार्य को पूरा करना चाहता है और जल स्तर को 152 फीट तक बहाल करना चाहता है।

## बाँध सुरक्षा अधिनियमः

- परिचयः
  - बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 दिसंबर 2021 में लागू हुआ था।
  - इस अधिनियम का उद्देश्य पूरे देश में प्रमुख बाँधों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना है।
  - यह कुछ बाँधों के सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिये संस्थागत तंत्र के अलावा बाँध की विफिलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिये कुछ बाँधों की निरिरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का भी प्रावधान करता है।
  - इस अधिनियम में उन बाँधों को शामिल किया गया है, जिनकी ऊँचाई 15 मीटर से अधिक और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में 10 मीटर से 15 मीटर की बीच है।
- दो राष्ट्रीय संस्थानों का नियमणः
  - बाँध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समति(NCDS):** यह बाँध सुरक्षा नीतियों को विकसित करने एवं आवश्यक नियमों की साफिराशि करने का प्रयास करती है।
  - राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA):** यह नीतियों को लागू करने और दोनों राज्यों के बीच अनुसुलझे मुद्दों को हल करने का प्रयास करता है। NDSA एक नियमित संस्था होगी।
- दो राज्य संस्थानों का नियमणः
  - कानून में बाँध सुरक्षा पर राज्य बाँध सुरक्षा संगठनों और राज्य समतियों के गठन की भी प्रक्रिया की गई है।
  - बाँधों के नियमण, संचालन, रखरखाव और प्रयोक्षण के लिये बाँध मालिकों को ज़मीनदार ठहराया जाएगा।

## बाँध सुरक्षा अधिनियम मुल्लापेरयिर को कैसे प्रभावित करता है?

- चूँकि अधिनियम यह नियमित करता है कि NCDS कसी ऐसे बाँध के लिये 'राज्य बाँध सुरक्षा संगठन' की भूमिका नभिएगा, जो कसी एक विशिष्ट राज्य में स्थिति है, जबकि उसका उपयोग कसी दूसरे राज्य द्वारा भी किया जाता है, ऐसे में मुल्लापेरयिर बाँध NDSA के द्वायरे में आ जाता है।
- इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय जो कि वर्ष 2014 में अपने फैसले के बाद याचिका पर सुनवाई कर रहा है, ने बाँध की सुरक्षा एवं रखरखाव का प्रभार लेने के लिये अपनी प्रयोक्षी समतियों की शक्तियों का विस्तार करने का विचार रखा है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन सा युग्म सही सुमेलति नहीं है? (2010)

बाँध/झील                    नदी

- (a) गोवडि सागर : सतलुज
- (b) कोल्लेरू झील : कृष्णा
- (c) उकाई जलाशय : तापी
- (d) बुलर झील : झेलम

उत्तर: (b)

- गोवडि सागर हमिचल प्रदेश के बलिसपुर ज़िले में सतलज नदी पर स्थित एक मानव नरिमति जलाशय है। इसका नरिमाण भाखड़ा बाँध से हुआ है।
- कोल्लेरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है जो आंध्र प्रदेश में स्थिति है। यह कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थिति है। इसे नवंबर 1999 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था और नवंबर 2002 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्ववाही की आरद्रभूमिनामति किया गया था।
- उकाई बाँध, जस्ते वलतनभ सागर के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात में तापी नदी पर बनाया गया है। यह सरदार सरोवर के बाद गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है।
- बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और कश्मीर धाटी में स्थिति है। यह एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झीलों में से एक है। झील बेसनि का नरिमाण विवरतनकि गतविधि के परिणामस्वरूप हुआ था और झीलम नदी द्वारा पोषित किया जाता है। बुलर झील भी 46 भारतीय आरद्रभूमियों में से एक है जस्ते रामसर स्थल के रूप में नामति किया गया है।

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिये: (2009)

1. केरल में पूर्व की ओर बहने वाली कोई नदियाँ नहीं हैं।
2. मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर बहने वाली कोई नदियाँ नहीं हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

- पंबर, भवानी और कबानी केरल की तीन पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। पंबर और भवानी तमलिनाडु में बहती हैं। कबानी कर्नाटक में प्रवेश करती है। ये तीनों कावेरी में मिलती हैं।
- पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की दो प्रमुख नदियाँ नरमदा और तापती या तापी हैं। नरमदा प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य में अमरकंटक पठार के पश्चिमी कनिरे से निकलती है।

**स्रोत: द हंडू**